उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः– 103 / 2022 दर्ज दिनांक 16.12.2022

जी सी एम एस न0 2022 / 1045 निर्णय दिनांक 29.04.2023

भवानी सिंह पुत्र जीवणसिंह उम्र 49 वर्ष जाति राजपूत निवासी 44 जमना डेयरी, अजमेर रोड़ सोडाला, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 29.04.2023

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प पोषाणा में पेश हुई है। प्रार्थी ने कैम्प में स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि ग्राम भोजगढ़ पटवार हल्का पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा न. 195 रकबा 0.0400 है0, खसरा न. 196 रकबा 1.9700 है0, खसरा न. 199 रकबा 2.0500 है0, खसरा न. 243 रकबा 2.1400 है0, खसरा न. 244 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 6.2500 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का कब्जा 1 / 15 है तथा तथा प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम छोटू सिंह पुत्र जीवणसिंह दर्ज हो गया, जो गलत दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी का सही नाम भवानी सिंह पुत्र जीवणसिंह है, जो दुरूस्त होने योग्य है। प्रार्थी का सही नाम भवानी सिंह है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र, पेन कार्ड आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम भवानी सिंह ही अंकित है, जो बिलकुल सही अंकित है। राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम छोटू सिंह दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हुआ है इसलिए प्रार्थी अपना नाम छोटू सिंह के बजाय भवानीसिंह पुत्र जीवणसिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम छोटू पुत्र जीवणसिंह के बजाय भवानी सिंह पुत्र जीवणसिंह शुद्ध / दुरूस्त किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तलब की गई।

अप्रार्थी ने दिनांक 29.04.2023 को आदेशिका में ही जवाब पेश कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का पोषाणा की रिपोर्टानुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:09:30 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प में पेश हुई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने हेतु उभयपक्षकारान ने सहमति दी। प्रार्थना में वर्णित भूमि का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी अपना नाम छोटू सिंह पुत्र जीवणसिंह के बजाय भवानी सिंह पुत्र जीवणसिंह से शुद्ध/दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त विवेचना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भोजगढ़ पटवार हल्का पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा न. 195 रकबा 0.0400 है0, खसरा न. 196 रकबा 1.9700 है0, खसरा न. 199 रकबा 2.0500 है0, खसरा न. 243 रकबा 2.1400 है0, खसरा न. 244 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 6.2500 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत रूप से दर्ज नाम छोटू सिंह पुत्र जीवणसिंह की जगह सही नाम भवानी सिंह पुत्र जीवणसिंह शुद्व/दुरूरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राजात बदस्तुर रहेंगे।

29/4/23

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 29.04.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29/4/23

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:09:30 IST
Reason: SelfAttested